संख्याः822/VII-II-12/50–ख/2006

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 27 अप्रैल, 2012

विषयः **वित्तीय वर्ष 2012–13 में खनन प्रशासन के अधिष्ठान व्यय हेतु बचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः193/XXVII (1)/2012 दिनांकः 30 मार्च, 2012, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में **खनन प्रशासन के अधिष्ठान व्यय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष अन्तर्गत बचनबद्ध/अबचनबद्ध मदों की समस्त धनराशि ₹13189 हजार (₹ एक करोड़ इकत्तीस लाख नवासी हजार मात्र)** की धनराशि **संलग्न अलोटमेंट आई0डी0–S1204230719 दिनांक 25.04.2012** के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– **उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से साफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।**

3– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 193/XXVII(1)/2012 दिनांकः 30 मार्च, 2012 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2013 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 001–निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर) 03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान, मद के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः193/XXVII(1)/2012 दिनांकः 30 मार्च, 2012 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– आई0डी0–S1204230719 दिनांक 25.04.2012

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः822/VII-II-12/50–ख/2006 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय विल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Industry (S023)

पत्र संख्या - 822

अनुदान संख्या - 023

अलोटमेंट आई डी - S1204230719

आवंटन पत्र दिनांक - 25-Apr-2012

लेखा शीर्षक - 2853 - अलौह खनन तथा धातु कर
001 - निदेशन तथा प्रशासन लघु श
00 - खनन प्रशासन का अधिष्ठान
02 - खानों का विनियमन तथा विक
03 - खनन प्रशासन का अधिष्ठान

HOD Name - Director Industries (2052)

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	6667000	6667000
02 - मजदूरी	0	367000	367000
03 - महंगाई भत्ता	0	4533000	4533000
04 - यात्रा व्यय	0	50000	50000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	17000	17000
06 - अन्य भत्ते	0	733000	733000
07 - मानदेय	0	27000	27000
08 - कार्यालय व्यय	0	33000	33000
09 - विद्युत देय	0	33000	33000
10 - जलकर / जल प्रभार	0	5000	5000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	0	50000	50000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकर	0	1000	1000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	17000	17000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	0	142000	142000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	167000	167000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स	0	167000	167000
18 - प्रकाशन	0	50000	50000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	0	1000	1000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	67000	67000
29 - अनुरक्षण	0	13000	13000
42 - अन्य व्यय	0	1000	1000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	17000	17000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	0	13000	13000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	1000	1000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्ध	0	17000	17000
	0	**13189000**	**13189000**

RUPEES ONE CRORE THIRTY-ONE LAKHS EIGHTY-NINE THOUSAND ONLY